संख्या-06/2021/143/12-5-2021-सा-01/2021

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 16 फरवरी, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूंजीगत परिव्यय मद में मानक मद-26 मशीन साज सज्जा एवं उपकरण में प्राविधानित धनराशि रू.80.00 लाख के अन्तर्गत सोलर पावर बैकअप प्लाण्ट एवं 800 कि0वा0 के ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0/2084/अनु0/2020-21, दिनांक 28 जनवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि निदेशालय में 20 कि0 वाट के 03 पावर बैकअप सोलर प्लान्ट एवं 800 कि0वा0 के ट्रांसफार्मर की स्थापना जेम पोर्टल के माध्यक से कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-11, लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू.80.00 (रूपया अस्सी लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखकर अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्रम सं0	कार्य का विवरण	मात्रा	इकाई	जेम पर उपलब्ध दर (लाख मे)	धनराशि (लाख मे)
1	Supplying of 3 phase 11 KV, 1000 KVA (800 KW) distribution transformer (Servokon malce) four star rating etc.	01	Job	22.00	22.00
2	Supplying & fixing 20 KW hybrid Solar Power Plant	03	Job	19.35	58.05
				Total	80.05

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020, 07-04-2020, 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स आवश्यक होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाएगी।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि से उपकरण आदि के क्रय हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही धनराशि को ऐसे खाते में रखा जायेगा जिससे ब्याज अजिर्त हो तथा अजिर्त ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदो पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व आपका होगा।

10- प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व आपका होगा।

11- उपकरणों का क्रय जेम पोर्टल से क्रय किये जाने संबंधी शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-11, लेखाशीर्षक-4401-फसल कृषि कर्म पर पूॅजीगत परिव्यय-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र के नामे डाला जायेगा।

13- यह स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, दिनांक 07-04-2020, दिनांक 11-04-2020 एवं 18-05-2020 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव

संख्या-06/2021/143(1)/12-5-2021-सा0-012021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय ,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, द्वितीय/प्रथम (आडिट /सिविल), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।